दांडिक अपील क्रमांक 576/2009

2010:CGHC:10904

प्रकाश हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 763/2008

अपीलार्थी दीप चंद जांगड़े, पिता श्री सुकालु राम जांगड़े, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरगांव, जय स्तंभ चौक, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना लाल बाग, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

और

दांडिक अपील क्रमांक 576/2009

अपीलार्थी शिवकुमार साहू, पिता स्वर्गीय श्री दयाराम साहू, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम अछोली, ओ.पी.-मंजूरी, थाना डोंडीलोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना लाल बाग, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 576/2009

2010:CGHC:10904

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत अपीलें)

(एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश)

उपस्थित :

श्री एच.एस. अहलुवालिया, अपीलार्थी के अधिवक्ता (दांडिक अपील क्रमांक 763/2008 में)

श्री शशांक ठाकुर, अपीलार्थी के अधिवक्ता (दांडिक अपील क्रमांक 576/2009 में)

श्री प्रदीप सिंह, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए पैनल लॉयर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 26 अप्रैल, 2010 को दिया गया)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. दीपचंद जांगड़े द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 763/2008 और शिवकुमार साहू द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 576/2009, सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 102/2007 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के आदेश दिनांक 06.08.2008 से उद्भूत हैं, अतः दोनों अपीलों को इस समान निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. दांडिक अपील क्रमांक 763/2008 और 576/2009, सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 102/2007 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 06.08.2008 के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत विद्वान सत्र

2010:CGHC:10904

न्यायाधीश ने अपीलार्थी दीपचंद जांगड़े को भारतीय दंड संहिता की धारा 489क, 489ख और 489ग के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए क्रमशः पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड, पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड, तथा तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड; और अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर प्रत्येक अपराध के लिए दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। तथा अपीलार्थी शिवकुमार साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 489क, 489ख, 489ग और 489घ के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए क्रमशः पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड, पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड, तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड, तथा पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड; और अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर प्रत्येक अपराध के लिए दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा, अन्य अभियुक्त गुलेश्वर देवांगन और वनेश्वर दास मानिकपुरी के साथ सुनाई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है।

4. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि अपराध शाखा, राजनांदगांव में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त गुलेश्वर के पास कूटकृत/जाली करेंसी नोट हैं। वह पुलिस बल के साथ ग्राम घोरदा के लिए रवाना

2010:CGHC:10904

हुए, अभियुक्त गुलेश्वर ग्राम घोरदा आया, तब उन्होंने उससे पूछताछ की। गुलेश्वर ने 100/- रुपये के मूल्यवर्ग के 100 जाली करेंसी नोटों के संबंध में प्रकटन कथन दिया और अपीलार्थी दीपचंद, शिवकुमार, वनेश्वर से संबंधित संस्वीकृति भी की, जिसे प्रदर्श पी-1 के माध्यम से दर्ज किया गया। गुलेश्वर ने 100/- रुपये के 100 करेंसी नोट पेश किए, जिन्हें प्रदर्श पी-2 के तहत जब्त किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर, प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) ने डोंगरगांव में अपीलार्थी दीपचंद से पूछताछ की, जिसने जाली करेंसी नोटों और 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 400 जाली करेंसी नोटों के आधिपत्य के संबंध में दोष स्वीकारोक्ति प्रकटन कथन (प्रदर्श पी/3) दिया। अपीलार्थी दीपचंद ने उक्त जाली करेंसी नोट पेश किए जिन्हें प्रदर्श पी-4 के तहत जब्त किया गया। अपीलार्थी शिवकुमार को भी अभिरक्षा में लिया गया, उसने 1000/-, 500/- और 100/- रुपये के जाली करेंसी नोटों और जाली नोट छापने के उपकरणों के बारे में प्रकटन कथन (प्रदर्श पी/5) दिया। अपीलार्थी शिवकुमार ने प्रिंटर, स्कैनर, कैंची, कॉपियर मशीन, कागज, 1000/- रुपये के 32 जाली नोट, 500/- रुपये के 5 नोट, 100/- रुपये के 10 नोट, 500/- रुपये के 11 अर्द्ध-मुद्रित जाली नोट, 50/- रुपये के 35 अर्द्ध-मुद्रित जाली नोट और 50/- रुपये के 3 अर्द्ध-मुद्रित जाली नोट पेश किए, जिन्हें उससे प्रदर्श पी-6 के तहत जब्त किया गया। विवेचना के दौरान, चौथे अभियुक्त वनेश्वर दास को अभिरक्षा में लिया गया, उसने भी 100/-, 500/- और 1000/- रुपये के जाली करेंसी नोटों के संबंध में प्रकटन कथन (प्रदर्श पी/7) दिया। अभियुक्त वनेश्वर दास ने 1000/- रुपये के 47 जाली नोट, 500/- रुपये के 12 जाली नोट, 100/- रुपये के 300 जाली नोट और 50/- रुपये के 15 करेंसी नोट पेश किए जिन्हें प्रदर्श पी-8 के तहत जब्त किया गया। देहाती नालिशी प्रदर्श पी-11 के माध्यम से दर्ज की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:10904

गई और देहाती नालिशी के आधार पर, प्रदर्श पी-12 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। शुरुआत में जाली करेंसी नोटों को प्राथमिक परीक्षण के लिए प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राजनांदगांव भेजा गया, जिन्होंने प्रदर्श पी-10 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाली नोटों के परीक्षण की सलाह दी। जाली करेंसी नोटों को महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड को प्रदर्श पी-13 और अनुसूची प्रदर्श पी-14 के साथ परीक्षण हेतु भेजा गया। करेंसी नोट प्रेस की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 और पी-20 के माध्यम से, परीक्षण के लिए भेजे गए करेंसी नोट जाली और कूटकृत पाए गए। विवेचना के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों को प्रदर्श पी-14 से पी-17 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। रोजनामचा प्रदर्श पी-21 और पी-22 के माध्यम से दर्ज किए गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव को प्रदर्श पी-23 के माध्यम से दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत साक्षियों के कथन दर्ज किए गए और विवेचना पूर्ण होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को उपार्पित कर दिया।

6. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के दोष को साबित करने के लिए, अभियोजन ने 7 साक्षियों का परीक्षण कराया है। संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थीगण के कथन दर्ज किए गए, जहां उन्होंने अपने विरुद्ध परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाए जाने का दावा किया।

2010:CGHC:10904

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

9. अपीलार्थी दीपचंद जांगड़े और शिवकुमार साहू के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला कूटकृत/जाली करेंसी नोटों के आधिपत्य और निर्माण के गंभीर आरोप का है, वह भी भारी मात्रा में, और गंभीर आरोप के मामले में, अभियोजन की ओर से कठोर सबूत की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान मामले में, अभियोजन अपीलार्थीगण के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। लतीफ (अ.सा.-1) ने संस्वीकृति कथनों और कथित जाली करेंसी नोटों की बरामदगी के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-5) का साक्ष्य, जो संस्वीकृति कथनों और जाली करेंसी नोटों की बरामदगी से संबंधित है, विश्वास जगाने वाला और विश्वसनीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि दोषसिद्धि मुख्य रूप से प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) के साक्ष्य पर आधारित है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि केवल विवेचना अधिकारी के आधार पर, जो वास्तव में इस मामले में परिवादी है, विधिक नहीं हो सकती। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दंडादेश देते समय अधीनस्थ न्यायालय तर्कसंगत नहीं था और उसने अपीलार्थीगण द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के अनुपात में असंगत गंभीर सजा दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:10904

10. विद्वान अधिवक्ता ने **रेमन उर्फ रमन और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[1] और अन्य संबंधित मामलों** का अवलम्ब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 489ग के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन वर्ष की सजा और 2000/- रुपये के अर्थदंड को उपयुक्त पाया था।

11. इसके विपरित, विद्वान राज्य/प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियोजन ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। लतीफ (अ.सा.-1) और वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-5) ने प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) के साक्ष्य का सारवान रूप से समर्थन किया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने संप्रभुता के प्रतीक के विरुद्ध अपराध किया है और यह वाणिज्यिक संव्यवहार की रीढ़ को प्रभावित करता है जो अंततः देश के शासन को प्रभावित करता है। अपीलार्थीगण के आधिपत्य से भारी मात्रा में करेंसी नोट और ऐसे नोटों को तैयार करने के उपकरण पाए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों को समझने के लिए, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, दोषसिद्धि सहायक उप निरीक्षक प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) के ठोस साक्ष्य और प्रकटन कथनों तथा जाली करेंसी नोटों व वस्तुओं की जब्ती के गवाह लतीफ (अ.सा.-1) और वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-5) के साक्ष्यों पर टिकी है। प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अपराध शाखा, राजनांदगांव में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। 23.6.2007 को, उन्हें जाली करेंसी नोटों के

[1] 2008 एल.टी. (छ.ग.) 170

2010:CGHC:10904

आधिपत्य के संबंध में सूचना मिली, वह ग्राम घोरदा के लिए रवाना हुए जहां अभियुक्त गुलेश्वर मिला, उन्होंने उसे अभिरक्षा में लिया और पूछताछ की। उसने 100/- रुपये के जाली करेंसी नोटों के बारे में प्रकटन कथन दिया जिसे उन्होंने प्रदर्श पी-1 के तहत दर्ज किया और देहाती नालिशी भी प्रदर्श पी-11 के तहत दर्ज की। गुलेश्वर ने 100/- रुपये के 100 जाली नोट पेश किए जिन्हें प्रदर्श पी-2 के तहत जब्त किया गया। गुलेश्वर ने अपीलार्थी दीपचंद के आधिपत्य में जाली करेंसी नोट होने का प्रकटन कथन भी किया, वे अपीलार्थी दीपचंद के पास गए और उससे पूछताछ की, उसने भी 40,000/- रुपये के जाली करेंसी नोटों के संबंध में प्रदर्श पी-3 के तहत प्रकटन कथन दिया, अपीलार्थी दीपचंद ने ऐसे जाली करेंसी नोट पेश किए जिन्हें उन्होंने प्रदर्श पी-4 के तहत जब्त किया। प्रकटन कथन देते समय अपीलार्थी दीपचंद ने इस तथ्य का भी खुलासा किया कि अन्य अभियुक्त वनेश्वर के पास जाली करेंसी नोट थे, तब वह वनेश्वर के पास गए और उससे पूछताछ की, अभियुक्त वनेश्वर ने भी जाली करेंसी नोटों, अर्द्ध-मुद्रित जाली नोटों, स्कैनर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों के संबंध में प्रदर्श पी-7 के तहत प्रकटन कथन दिया। वनेश्वर ने 1000/- रुपये के 47 जाली नोट, 500/- रुपये के 12 जाली नोट, 100/- रुपये के 300 जाली नोट और 50/- रुपये के 15 जाली नोट पेश किए जिन्हें उन्होंने प्रदर्श पी-8 के तहत जब्त किया। उन्होंने अपीलार्थी शिवकुमार से भी पूछताछ की जिसने जाली करेंसी नोटों, स्कैनर, प्रिंटर और कैंची के संबंध में प्रकटन कथन दिया। अपीलार्थी शिवकुमार ने प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर मशीन, कागज, कैंची, 1000/- रुपये के 32 जाली नोट, 500/- रुपये के 5 जाली नोट, 100/- रुपये के 10 जाली नोट, 500/- रुपये के 11 अर्द्ध-मुद्रित (एक तरफ छपे हुए) और 50/- रुपये के 35 अर्द्ध-मुद्रित (एक तरफ छपे हुए) नोट प्रदर्श पी-6 के तहत पेश किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने अभियुक्तों को प्रदर्श पी-14 से पी-17 के तहत गिरफ्तार किया। जाली करेंसी नोटों को महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड को प्रदर्श पी-19 के तहत परीक्षण के लिए भेजा गया और रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 है। उन्होंने अभियुक्तों से जब्त किए गए करेंसी नोटों और अन्य वस्तुओं की पहचान की है। उन्होंने प्रदर्श पी-21 और पी-22 के तहत प्रारंभिक रोजनामचा भी साबित किया है। लतीफ (अ.सा.-1) ने प्रदर्श पी-1 से पी-8 पर हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उसने गवाही दी है कि पुलिस ने सूचित किया था कि वे जाली करेंसी नोटों की जब्ती कर रहे हैं। उसने यह भी गवाही दी है कि कुछ नोट आधे छपे हुए थे लेकिन उसने अभियोजन के मामले का सारवान रूप से समर्थन नहीं किया और अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। उसने अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 7 में स्वीकार किया है कि उसने तथ्यों को समझने के बाद कागजों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। अभियोजन ने एक अन्य गवाह वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-5) का परीक्षण कराया है जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त गुलेश्वर ने जाली करेंसी नोटों का प्रकटन कथन दिया है और पुलिस ने अपीलार्थी दीपचंद और स्कूल के एक चपरासी से प्रदर्श पी-1 से पी-8 के तहत भारी मात्रा में जाली करेंसी नोट जब्त किए हैं। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उसने अभियोजन के मामले का सारवान रूप से समर्थन किया है। बृजेंद्र नाथ ढाली (अ.सा.-2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जाली करेंसी नोट परीक्षण के लिए उनके पास भेजे गए थे। उन्होंने पाया कि नोट जाली प्रतीत होते हैं, तो उन्होंने प्रदर्श पी-10 के माध्यम से करेंसी नोट प्रेस द्वारा परीक्षण की सलाह दी। चुन्नीलाल डेकाटे (अ.सा.-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने प्रदर्श पी-13 के तहत जाली करेंसी नोट परीक्षण के लिए भेजे थे। बचाव पक्ष ने महत्वपूर्ण गवाह प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) की विस्तार से प्रतिपरीक्षण की है। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने विशेष रूप से कहा है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:10904

कि सभी अभियुक्तों ने जाली करेंसी नोटों और जाली करेंसी नोट तैयार करने के उपकरणों के संबंध में प्रकटन कथन दिए, जिन्हें उन्होंने दर्ज किया और विभिन्न अभियुक्तों के कहने पर जाली करेंसी नोट और अन्य उपकरण जब्त किए। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध झूठा मामला बनाया है।

13. वर्तमान मामले में, उक्त करेंसी नोटों का असली न होना और जाली होना, अपीलार्थीगण की ओर से आक्षेपित नहीं है, लेकिन उन्होंने केवल जाली करेंसी नोटों के सचेत आधिपत्य को आक्षेपित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) के साक्ष्य का वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-5) के साक्ष्य द्वारा सारवान रूप से समर्थन किया गया है। प्रमोद रूसिया एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन उनके साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस अधिकारी हैं और मामले के परिणाम में रुचि रखते हैं। पुलिस अधिकारी के बयान के साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता के प्रश्न का निस्तारण करते हुए, **अनिल उर्फ अंड्या सदाशिव नंदोसकर बनाम महाराष्ट्र राज्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गवाहों का पुलिस अधिकारी होना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा नहीं करता है यदि पंच गवाहों का परीक्षण न कराए जाने को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया हो।सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

> *"वास्तव में, तलाशी और जब्ती के समर्थन में जिन सभी पांच अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया गया है, वे छापामार दल के सदस्य थे। वे सभी पुलिस अधिकारी हैं। तथापि, विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारियों*

[2] ए.आई.आर 1996 एस.सी.डब्लू 2943

के साक्ष्य को अमान्य कर दिया जाना चाहिए या यह कि यह किसी अंतर्निहित दुर्बलता से ग्रस्त है। तथापि, प्रज्ञा की यह अपेक्षा है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य की, जो मामले के परिणाम में हितबद्ध हैं, सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए और उसका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने के लिए किसी निर्योग्यता से ग्रस्त नहीं होते हैं और केवल यह तथ्य कि वे पुलिस अधिकारी हैं, अपने आप में उनकी विश्वसनीयता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है। हमने सभी 5 पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उनमें से कोई भी अपीलार्थी के प्रति शत्रुतापूर्ण था और लंबी प्रतिपरीक्षण के बावजूद उनका साक्ष्य अडिग रहा है। इन साक्षियों ने अपीलार्थी को पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल और जिस तरीके से उसे पकड़ा गया, उसके विवरण को स्पष्ट शब्दों में अभिसाक्ष्यित किया है। अपीलार्थी से हथियारों की तलाशी और जब्ती के संबंध में उनका साक्ष्य सीधा, सुसंगत और विशिष्ट है। यह विश्वास जगाता है और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उनके साक्ष्य में कोई गंभीर, घातक तो दूर की बात है, कमी इंगित करने में सक्षम नहीं रहे हैं। हमारी राय में, अपीलार्थी के सचेत आधिपत्य से देसी रिवॉल्वर की तलाशी और जब्ती का तथ्य अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है। दो पंच साक्षियों का परीक्षण न कराने के लिए अभियोजन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जो अ.सा.-4 पी.आइ. गायकवाड़ द्वारा दाखिल रिपोर्ट प्रदश-24 द्वारा समर्थित है, संतोषजनक है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि छापा दल ने तलाशी और जब्ती के समय दो स्वतंत्र पंचों को अपने साथ शामिल करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए ईमानदार प्रयास किए और उन्हें शामिल किया गया था। उन्हें अभियोजन साक्षियों के रूप में भी उद्धृत किया गया था और साक्ष्य देने के लिए समन किया गया था। तथापि, अभियोजन एजेंसी द्वारा उनकी तामीली के लिए किए गए तत्परतापूर्ण प्रयासों के बावजूद, उनका पता नहीं लगाया जा सका या उन्हें खोजा नहीं जा सका, इसलिए विचारण में उनका परीक्षण नहीं किया जा सका। रिपोर्ट प्रदश-24 में कथित तथ्यों को देखते हुए, जिसकी सत्यता अ.सा.-4 की प्रतिपरीक्षण के दौरान वस्तुतः चुनौतीहीन रही है, दो पंचों का परीक्षण न कराया जाना किसी परोक्ष कारण से नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार विचारण में उनका प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। अभियोजन पर इन साक्षियों को छिपाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसने विचारण में उनका पता लगाने और उन्हें पेश करने का हर प्रयास किया लेकिन इस तथ्य के कारण असफल रहा कि वे तलाशी के समय उनके द्वारा दिए गए पते को छोड़ चुके थे और उस संबंध में किए गए तत्परतापूर्ण प्रयासों के बावजूद उनके ठिकानों का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए, हमें पंच साक्षियों का परीक्षण न होने के कारण अपीलार्थी को पकड़े जाने, छापा दल द्वारा तलाशी और जब्ती तथा अपीलार्थी से देसी रिवॉल्वर और कारतूसों की बरामदगी, जिसके लिए वह कोई अनुज्ञप्ति या प्राधिकार पेश नहीं कर सका, से संबंधित अभियोजन के कथन की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है; हम पाते हैं कि अ.सा.-1 से अ.सा.-5 का साक्ष्य विश्वसनीय, ठोस और भरोसा करने योग्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी.पी. बीरन बनाम केरल राज्य[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस उप निरीक्षक के असंपुष्ट साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है।

15. उपरोक्त मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में, मैंने प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) के साक्ष्य की बारीकी से जांच की है, जिसकी पुष्टि वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-6, संभवतः निर्णय में टंकण त्रुटि, इसे 5 पढ़ा जाए) के साक्ष्य से होती है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलार्थी दीपचंद ने अपने आधिपत्य में 40,000/- रुपये के कूटकृत/जाली करेंसी नोट होने का प्रकटन कथन दिया है और अपीलार्थी दीपचंद से 100/- रुपये के 400 जाली करेंसी नोट जब्त किए गए थे। अपीलार्थी शिवकुमार ने भी प्रदर्श पी-5 के तहत जाली करेंसी नोटों और जाली करेंसी नोट तैयार करने के उपकरणों के संबंध में प्रकटन कथन दिया है। अपीलार्थी शिवकुमार से प्रदर्श पी-6 के तहत 1000/- रुपये के 32 जाली नोट, 500/- रुपये के 5 जाली नोट और 100/- रुपये के 10 जाली नोट, 500/- रुपये के 11 अर्द्ध-मुद्रित नोट, 50/- रुपये के 35 अर्द्ध-मुद्रित नोट, मुद्रण उपकरण और काटने के उपकरण के साथ जब्त किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. बचाव पक्ष ने इस गवाह की विस्तार से प्रतिपरीक्षण की है लेकिन उसकी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं निकाल पाया है जो यह दर्शाता हो कि उसकी अपीलार्थीगण के साथ कोई दुश्मनी है या निर्धारित प्रक्रिया से कोई विचलन हुआ है। उसका साक्ष्य विश्वास जगाता है, विश्वसनीय है और भरोसा करने के लिए सुरक्षित है। प्रमोद रूसिया (अ.सा.-6) का साक्ष्य, वीरेंद्र ठाकुर (अ.सा.-5) के साक्ष्य और जब्त किए गए जाली करेंसी नोटों की

[3] ए.आई.आर 2001 एस.सी. 2420

परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 और पी-20 द्वारा संपुष्ट है, जो इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी दीपचंद के प्रकटन कथन प्रदर्श पी-3 के आधार पर, 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 400 जाली करेंसी नोट जब्त किए गए थे। उसी प्रकार अपीलार्थी शिवकुमार के प्रकटन कथन प्रदर्श पी-5 के आधार पर, 1000/-, 500/- और 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 47 जाली करेंसी नोट, 500/- रुपये के 11 अर्द्ध-मुद्रित करेंसी नोट, 500/- रुपये के 35 अर्द्ध-मुद्रित करेंसी नोट मुद्रित सामग्री के साथ अपीलार्थी शिवकुमार से प्रदर्श पी-6 के तहत जब्त किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य**[4] के मामले में यह माना है कि अभियोजन को तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: (क) किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज, यद्यपि सुसंगत तथ्य हो (ख) ऐसे तथ्य की खोज का अभिसाक्ष्य दिया जाना चाहिए और (ग) सूचना प्राप्त करने के समय अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल "इतनी ही सूचना" जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, ग्राह्य है।

18. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी दीपचंद और शिवकुमार ने प्रकटन कथन दिए हैं कि वे **जाली करेंसी नोटों** के आधिपत्य में थे और उनकी निशानदेही पर इसकी खोज की गई है। इस मामले में, न केवल करेंसी नोटों की खोज का तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य है, बल्कि यह तथ्य कि **जाली करेंसी नोट** अपीलार्थीगण की निशानदेही पर खोजे गए हैं, साक्ष्य अधिनियम की

[4] (1976) 1 एस.सी.सी. 828

धारा 27 के संदर्भ में साक्ष्य में ग्राह्य हैं। अपीलार्थी शिवकुमार की निशानदेही पर, प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर मशीन, कागज, कैंची, 500/- रुपये के 11 अर्द्ध-मुद्रित करेंसी नोट और 500/- रुपये के 35 अर्द्ध-मुद्रित करेंसी नोट मुद्रित सामग्री के साथ प्रदर्श पी-6 के तहत उससे जब्त किए गए हैं। अपीलार्थी शिवकुमार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि भारी मात्रा में अर्द्ध-मुद्रित करेंसी नोट उसके आधिपत्य में कैसे आए और वह करेंसी नोटों के मुद्रण उपकरणों के आधिपत्य में कैसे था और अर्द्ध-मुद्रित जाली करेंसी नोटों के आधिपत्य में भी, जो असली नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. ये साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी यह जानते हुए जाली करेंसी नोटों के आधिपत्य में थे कि वे असली नहीं हैं और जाली हैं। अपीलार्थी शिवकुमार मुद्रण उपकरणों के आधिपत्य में था और अर्द्ध-मुद्रित करेंसी नोट यह दर्शाते हैं कि जाली करेंसी नोटों की छपाई प्रक्रिया में थी।

20. केवल इस ज्ञान के साथ करेंसी नोटों का आधिपत्य कि वे कूटकृत या जाली करेंसी नोट हैं, अभियुक्त/अपीलार्थीगण को भा.द.स. की धारा 489ग के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि अपीलार्थी कूटकृत करेंसी नोटों को असली के रूप में उपयोग करने के आशय से या इस संभावना के साथ कि वे असली के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, अपने पास रखे हुए थे। जैसा कि **उमाशंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[5] के मामले में आयोजित किया गया है, अभियोजन को अभियुक्त/अपीलार्थीगण की ओर से दुराशय साबित करना आवश्यक है और जाली करेंसी

[5] ए.आई.आर 2001 एस.सी. 3074

नोटों के आधिपत्य के संबंध में किसी विशिष्ट प्रश्न की अनुपस्थिति में, अभियुक्त दोषमुक्ति के हकदार हैं।

21. वर्तमान मामले में, जाली और कूटकृत करेंसी नोटों के आधिपत्य से संबंधित विशिष्ट प्रश्न अभियुक्त/अपीलार्थीगण से पूछा गया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस मामले में करेंसी नोट अभियुक्त/अपीलार्थी के आकस्मिक आधिपत्य में नहीं थे जो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से वाणिज्यिक संव्यवहार के दौरान नियमित तरीके से प्राप्त किए थे, बल्कि यह उनके ज्ञान में था कि वे कूटकृत या जाली करेंसी नोट थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वे उक्त करेंसी नोट किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपने पास रखे हुए थे। ये विशेष तथ्य अपीलार्थीगण के ज्ञान के भीतर हैं। उन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वे उन कूटकृत करेंसी नोटों को क्यों अपने पास रखे हुए थे। ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में और उनके ज्ञान के भीतर कूटकृत करेंसी नोटों के आधिपत्य से, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कूटकृत करेंसी नोटों को, उन्हें ऐसा जानते हुए, असली के रूप में उपयोग करने के आशय से अपने पास रखे हुए थे। इस प्रकार **उमाशंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (पूर्वोक्त)**[5] के मामले के तथ्य, तथ्यों के आधार पर अलग हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपीलार्थी शिवकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 489क, 489ख, 489ग और 489घ के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा दी गई है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी शिवकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 489क, 489ख, 489ग और 489घ के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अपीलार्थी शिवकुमार मुद्रण उपकरणों

के आधिपत्य में था, उसने कूटकृत/जाली करेंसी नोटों की कूटरचना की है, वह असली के रूप में उपयोग करने के आशय से करेंसी नोटों के आधिपत्य में था और उसने छपाई के लिए करेंसी नोटों को संसाधित किया है। इसी तरह अपीलार्थी दीपचंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 489क, 489ख और 489ग के तहत दोषी ठहराया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी दीपचंद ने कूटकृत जाली करेंसी नोटों की कूटरचना या प्रसंस्करण में कोई भूमिका निभाई है, लेकिन यह तथ्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि वह भारी मात्रा में जाली करेंसी नोटों के आधिपत्य में था और उसने उन्हें अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किया है और वह उन्हें असली के रूप में उपयोग करने के आशय से अपने पास रखे हुए था, इसलिए, धारा 489क के तहत अपीलार्थी दीपचंद की दोषसिद्धि और सजा विधि के अंतर्गत पोषणीय नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 489ख और 489ग के तहत अपीलार्थी दीपचंद की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत पोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **रेमन उर्फ रमन (पूर्वोक्त)**[1] के मामले पर भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 489ग के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/- रुपये का अर्थदंड मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त सजा है।

24. यह भारी मात्रा में जाली करेंसी नोटों का मामला है।अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा किया गया अपराध संप्रभुता के प्रतीक के विरुद्ध अपराध है और वाणिज्यिक संव्यवहार की रीढ़ को प्रभावित करता है जो अंततः देश के शासन को प्रभावित करता है। अपीलार्थीगण ने देश

की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया है। उपयुक्त दंड देते समय, किसी दिए गए मामले में दंड का माप अपराध की नृशंसता; अपराधी के आचरण और पीड़ित की रक्षाहीन और असुरक्षित स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। उपयुक्त दंड का अधिरोपण वह तरीका है जिससे न्यायालय अपराधियों के विरुद्ध समाज की न्याय की पुकार का उत्तर देते हैं। न्याय की मांग है कि न्यायालय अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित करें। उपयुक्त दंड के अधिरोपण पर विचार करते समय न्यायालयों को न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि अपराध के पीड़ित और समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी दीपचंद के आधिपत्य में 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 400 जाली करेंसी नोट पाए गए और अपीलार्थी शिवकुमार के आधिपत्य में जाली करेंसी नोटों के उपकरण पाए गए, जो अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

26. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दंडादिष्ट किया है। अपीलार्थीगण ने संप्रभुता के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए, वे इस न्यायालय द्वारा किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

27. पूर्वगामी कारणों से, दीपचंद जांगड़े की ओर से दायर अपील अंशतः स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी दीपचंद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489ख और 489ग के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा को एतद्द्वारा कायम रखा जाता है, हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 489क के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा को

2010:CGHC:10904

एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि ऐसी सजा से संबंधित अर्थदंड का भुगतान किया गया है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। अपीलार्थी शिवकुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489क, 489ख, 489ग और 489घ के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti